रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266402 CG-DL-E-25092025-266402

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] No. 261] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

मामला संख्या- एडी(ओआई)- 31/2025

# विषय: चीन जन. गण. से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-125 के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/34/2025 - डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली या एडी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, एसआरएफ लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन जन गण ("संबद्ध देश") से 'हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-125' (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा

6389 GI/2025 (1)

- गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।
- 2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और उन्होंने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

# क. विचाराधीन उत्पाद

- 3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-125" है, जिसे "एचएफसी-125", "आर-125" और "पेंटाफ्लोरोएथेन" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "आर-125" कहा गया है) के नाम से भी जाना जाता है। इसका आणविक सूत्र सी2एचएफ5 और संरचनात्मक सूत्र सीएफ3सीएफ2एच है। यह उत्पाद गैसीय रूप में पाया जाता है।
- 4. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्यतः एचएफसी मिश्रणों, विशेष रूप से आर-410 और आर-407, के निर्माण में किया जाता है। मिश्रित होने के बाद, आर-125 युक्त एचएफसी मिश्रण का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक रेफ्रिजरेंट तथा शीतलन अनुप्रयोगों में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग आग बुझाने में एक स्वच्छ कारक के रूप में भी किया जा सकता है।
- 5. विचाराधीन उत्पाद का आयात पहले सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप शीर्षक 2903 39 19, 2903 42 00 और 2903 44 00 के अंतर्गत किया जाता था। आवेदकों ने दावा किया है कि टैरिफ वर्गीकरण मार्च 2022 से उपशीर्षक 3827 63 00 में परिवर्तित हो गया है।
- 6. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित पीसीएन प्रस्तावित किया है।

क्रसं.	विवरण
1	एचएफसी-125 पैक्ड
2	एचएफसी-125 अनपैक्ड

7. संबद्ध जाँच में शामिल हितबद्ध पक्षकार, यदि कोई हों, तो इस जाँच के प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति संबंधी अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

# ख. समान वस्तु

8. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, और दोनों समान वस्तुएँ हैं। आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएँ, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे

हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और इसलिए, नियमों के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जाँच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ, आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

# ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

- 9. यह आवेदन एसआरएफ लिमिटेडऔर गुजरात फ्लोरोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- 10. आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि वे नियम 2(ख) के अर्थ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक या निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- 11. आवेदकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है।
- 12. प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' हैं, और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

### घ. संबद्ध देश

13. वर्तमान पाटनरोधी जाँच के लिए संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

## ङ. <u>जाँच की अवधि</u>

14. वर्तमान जाँच के लिए जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2025 (12 महीने की अवधि) है। क्षित जाँच अवधि में 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि और जाँच की अवधि शामिल होगी।

### च. कथित पाटन का आधार

- i. <u>सामान्य मूल्य</u>
- 15. आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- 16. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सिहत किसी अन्य देश को बेचा गया है, उसके संबंध में, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अन्य देशों से आयात की मात्रा सामान्य मूल्य के आधार के रूप में विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।

17. जॉच शुरूआत के प्रयोजनार्थ, विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़कर विधिवत रुप से समायोजित किया गया है।

## ii. <u>निर्यात कीमत</u>

18. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में दर्शाए गए सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय, ऋण लागत और मालभाड़ा लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

## iii. पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेल बाजार में पाटन किया जा रहा है।

# छ. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षित के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षित के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। क्षित अविध के दौरान घरेलू उद्योग के आयात और आर्थिक मापदंडों से संबंधित सूचना दर्शाती है कि आयात में वृद्धि हुई है। आवेदकों की कीमतों पर सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत हास प्रभाव पड़ा है। आवेदकों की लाभप्रदता और नियोजित पूँजी पर आय में गिरावट आई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षित के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

# ज. <u>पाटनरोधी जाँच की शुरूआत</u>

21. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रुप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

## झ. प्रक्रिया

22. इस जाँच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

## ञ. <u>सूचना प्रस्तृत करना</u>

- 23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in और उसकी प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
- 24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को जाँच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढ़ग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढ़ग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
- 26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- 27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निदेश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (<a href="http://www.dgtr.gov.in/">http://www.dgtr.gov.in/</a>) को नियमित रूप से देखते रहें।

### ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in और उसकी प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए जिस तारीख को प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश को परिचालित किया था या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया है। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

- 29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- 30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय लेना चाहता है, तो उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

# ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

- 31. वर्तमान जॉच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- 32. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 33. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होनी चाहिए जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, तो सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
- 34. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को दावा की गई गोपनीय सूचना का पर्याप्त और उचित सारांश होना अपेक्षित है।
- 35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार और नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।
- 36. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

- 37. किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे पर उचित और पर्याप्त कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
- 38. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
- 39. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

## ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोधों/उत्तरों/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर, किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

## ढ. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अविध या इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अविध के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General Of Trade Remedies)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September ,2025

CASE No. AD (OI)- 31/2025

<u>Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Hydrofluorocarbon (HFC)</u> Component R-125 from China PR.

1. **F.No.** 6/34/2025-DGTR: Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules or AD Rules"),

SRF Limited and Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter referred to as the "applicants" or the "domestic industry") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of 'Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-125' (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration") from China PR ("subject country").

2. The applicants have alleged that material injury is being caused due to the dumped imports of the subject goods from the subject country and have requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

#### A. Product under consideration

- 3. The product under consideration (PUC) in the present application is "Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-125", also known as "HFC-125", "R-125" and "Pentafluoroethane" (hereafter referred to as "product under consideration" or "R-125"). Its molecular formula is C<sub>2</sub>HF<sub>5</sub> and structural formula is CF<sub>3</sub>CF<sub>2</sub>H. The product is found in gaseous form.
- 4. The product under consideration is primarily used to manufacture HFC blends, notable R-410 and R-407. Once blended, the HFC blend containing R-125 is used in residential and commercial refrigerant and cooling applications. The product under consideration has standalone applications also as a clean agent in extinguishing fires.
- 5. The product under consideration was earlier imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under subheadings 2903 39 19, 2903 42 00 and 2903 44 00. The applicants have claimed that the tariff classification has undergone a change from March 2022 to subheading 3827 63 00.
- 6. The applicants have proposed the following PCN for the product under consideration.

SN	Particulars
1	HFC-125 Packed
2	HFC-125 Unpacked

7. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

#### B. <u>Like article</u>

8. The applicants have submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicants and those exported from the subject country, and both are like articles. The product produced by the applicants and those imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the applicants has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject country.

## C. Domestic industry and standing

- 9. The application has been filed by SRF Limited and Gujarat Fluorochemicals Limited.
- 10. The applicants have certified that they are not related to any producer or exporter of the subject goods in the subject country or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) the Rules. The applicants have not imported the product under consideration.
- 11. The production of the applicants account for a major proportion in the domestic production of the like article in India.
- 12. Based on the information provided, it is seen that the applicants constitute 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

#### D. Subject country

13. The subject country for the present anti-dumping investigation is China PR.

## E. Period of investigation

14. The period of investigation for the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2024 – 31<sup>st</sup> March 2025 (a period of 12 months). The injury investigation period will cover the period of 2021-22, 2022-23 and 2023-24 and the period of investigation.

## F. Basis of alleged dumping

#### i. Normal value

- 15. The applicants have cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
- 16. The applicants have submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. With regards to the price at which the product under consideration has been sold from the market economy third country to any other country, including India, the applicants submitted that the import volume from other countries is not sufficient in volume to be considered as a basis for normal value. Therefore, the applicants have determined normal value for product under consideration based on cost of production in India, adjusted to include a reasonable profit margin.
- 17. For the purpose of initiation, the normal value for the product under consideration has been determined based on cost of production in India, duly adjusted for addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

#### ii. Export price

18. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, inland freight expenses, credit cost and inventory carrying cost.

### iii. Dumping margin

19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject country is not only above the *de minimis* level but is also significant. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

#### G. Evidence of injury and causal link

20. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished *prima facie* evidence with respect to the injury suffered because of the alleged dumped imports. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the imports have increased. There is positive price undercutting and price depression effect on the prices of the applicants. The applicants have incurred decline in its profitability and return on capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country.

#### H. <u>Initiation of anti-dumping investigation</u>

21. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicants concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

## I. Procedure

22. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

## J. Submission of information

- 23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses <u>id12-dgtr@gov.in</u> and <u>ad12-dgtr@gov.in</u> with a copy to <u>dir15-dgtr@gov.in</u> and <u>consultant-dgtr@nic.in</u>. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
- 24. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

- 25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
- 26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
- 27. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

### K. Time limit

- 28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses <a href="mailto:jdl2-dgtr@gov.in">jdl2-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:addre@gov.in">addl2-dgtr@gov.in</a> with a copy to <a href="mailto:dir15-dgtr@gov.in">dir15-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:consultant-dgtr@nic.in">consultant-dgtr@nic.in</a>. within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the applicants would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
- 29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
- 30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification

#### L. Submission of information on confidential basis

- 31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
- 32. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
- 33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

- 34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
- 35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
- 37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
- 38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

#### M. Inspection of public file

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR website with a request to all interested parties to send the non-confidential version of their submissions to all other interested parties by email. Failure to circulate the non-confidential version of the submissions/replies/information may result in an interested party being considered non-cooperative.

### N. Non-cooperation

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority